

The Principal,
Rekha Devi Memorial T.T. Institute,
Avika Nagar, Jaipur Road,
Malpura, Tonk (304502)

Sub: Grant of Fresh Affiliation to start B.Ed. for the session 2008-09.

Dear Sir/Madam,

On the recommendation of the Inspection Committee & Affiliation Committee the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant fresh affiliation to your College for starting B.Ed. 100 Seats (One Hundred Seats) duly allotted through the P.T.E.T. as per N.C.T.E norms for the Session 2008-09, subject to fulfillment of the conditions as mentioned below:-

1. To follow and observe the University Act, Statutes, Ordinances, Regulations, Rules and Instructions framed, amended, adopted and issued from time to time in General and specifically relating to:
 - (a) Admissions of students in all the courses.
 - (b) To follow curricula/Courses of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examinations and conduct of examinations.
 - (c) Appointment of Teaching/Sports/PTI/Library Staff."
2. (i) All the conditions as prescribed by the State Govt. in the N.O.C. dated 09.09.08 and NCTE letter No. F. NRC/NCTE/RJ-1179/2008/58977 dated 26th August, 2008 will have to be followed and compliance report of fulfillment of all conditions will be submitted within three months.
 - (ii) Staff: Appointment of permanent and qualified Principal and teaching staff on the fulltime basis selected by a duly constituted Committee as per the norms of NCTE/State Govt./UGC before the commencement of the session.
 - (ix) That the reserve fund for an amount equal to three months salary of the Teachers and Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five Years) in a Nationalized Bank.
 - (x) Building: Construction of sufficient building as per guidelines of the University provisions, play grounds and hostel building.
 - (xi) Library: Year wise development of college Library and provision of funds for journals and magazines be made.
 - (xii) Endowment Fund: Sufficient Endowment Fund as prescribed in rules be created.
 - (xiii) Faculty Members: At least two faculty members in each faculty be appointed as per the decision of the Academic Council and Board of Management already circulated to the Principals of all the affiliated Colleges of the University.
 - (xiv) To make compliance and fulfillment of the conditions laid down in your affiliation letter and submit it within three months from the date of issue of this letter.
3. To provide the information as asked for by the University from time to time including Statistics etc.,
4. To follow strictly rules and regulations and amendments governed by the University & NCTE from time to time.
5. The compliance report of the following conditions mentioned in the inspection report be submitted alongwith supporting documents within two months:
 - (i) स्टाफ का चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुरूप किया जावे।

Yours faithfully,

Dy.Registrar (Acad.II)



MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER
(B++ accredited by NAAC)

क्रमांक: एफ.14 () शै. 11 / पीटीईटी-एनओसी / मदसविदि / 2009 /

दिनांक:

समन्वयक (पीटीईटी-2009),

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,

जोधपुर ।

विषय :- सत्र 2009-2010 के लिये सम्बद्धता प्रदत्त बी.एड. महाविद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- आपका पत्रांक: जनावि / पीटीईटी / 2009 / 1079 दि. 2.07.2009 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आदेशानुसार लेख है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थिति ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिन्होंने सत्र 2009-2010 की सम्बद्धता में अभिवृद्धि के लिये आवेदन किया है किन्तु जिनकी सत्र 2008-09 की बी.एड. पाठ्यक्रम की नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि की सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता हेतु बांछित दस्तावेजों/कमियों की प्रतिपूर्ति न किये जाने, निरीक्षण लम्बित रहने अथवा निरीक्षण रिपोर्ट की शर्तों की संतोषप्रद प्रतिपूर्ति न किये जाने के कारण लम्बित है, एवं जिनके सम्बन्ध में उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक: प.10(1)शिक्षा-1/2009 / दिनांक 29.06.2009 के द्वारा सत्र 2009-2010 के लिये पत्र के साथ संलग्न सूचीवाले महाविद्यालयों को बी.एड. पाठ्यक्रम संचालन हेतु पत्र में अंकित शर्तों की नवीनीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है, ऐसे महाविद्यालयों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अप्परटेकिंग के आधार पर निम्नलिखित शर्तों की प्रतिपूर्ति के अधीन निम्नांकित महाविद्यालयों की सूची सत्र 2009-2010 में छात्र आवंटन हेतु प्रेषित की जा रही है :

1. निम्नांकित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत अप्परटेकिंग के प्रारूप के अनुसार अप्परटेकिंग की तिथि से सात दिवस में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय छात्र आवंटन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
2. निम्नलिखित महाविद्यालयों को अप्परटेकिंग प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह में सत्र 2008-09 की लम्बित नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता वृद्धि हेतु कमियों/दस्तावेजों की प्रतिपूर्ति करनी होगी एवं विश्वविद्यालय की सम्बद्धता की समस्त शर्तों/महाविद्यालय की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।
3. यदि महाविद्यालय उक्त अवधि में सत्र 2008-09 की सम्बद्धता की शर्तों की पालना में असफल रहता है एवं/अथवा महाविद्यालय की असंतोषप्रद निरीक्षण रिपोर्ट या महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की शर्तों की अपूर्ण/असंतोषप्रद अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो विश्वविद्यालय अस्थायी सम्बद्धता के एवज (in lieu of) में सत्र 2009-2010 हेतु छात्र आवंटन के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा एवं ऐसी स्थिति में महाविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रबन्धन समस्त पश्चात्वर्ती परिणामों जिनमें प्रवेशित छात्रों से सम्बन्धित विवाद भी सम्मिलित है के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2008-09 की सम्बद्धता उपरोक्त कारणों से प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिये जाने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा सत्र 2008-09 व 2009-2010 हेतु जमा सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा जमा कर लिया जायेगा एवं महाविद्यालय में सत्र 2009-2010 में प्रवेशित छात्रों को अन्य महाविद्यालयों में स्थानांतरित करने के लिये विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा ।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सीटों की सं.
1	श्री मिश्रीलाल दुहे टी.टी. कॉलेज, अजमेर	100
2	सेन्ट्रल एकेडमी टी.टी. कॉलेज, कोटड़ा, अजमेर	200
3	जय नारायण व्यास महिला टी.टी. कॉलेज, बाड़मेर	120
4	यू.के. सिंह देवल टी.टी. कॉलेज, भीनमाल (जालौर)	100
5	श्री सबल महिला टी.टी. कॉलेज, बोरुन्दा (जोधपुर)	280
6	गोताजली बी.एड. कॉलेज, बोरावड़ (नागीर)	200
7	भारती विद्या मन्दिर महिला टी.टी. कॉलेज, रामनगर (पाली)	100
8	मदरलेण्ड टी.टी. कॉलेज, टोंक	200
9	एकलव्य टी.टी. कॉलेज, टोंक	200
10	सेन्ट साल्वर महिला टी.टी. कॉलेज, टोंक	200
11	बालासती महिला टी.टी. कॉलेज, हट्टण्डी (अजमेर)	100
12	नारायण टी.टी. कॉलेज, पर्वतपुरा (अजमेर)	100
13	शान्तिनाथ विद्या भारती टी.टी. कॉलेज, जालौर	100
14	जी.एस. जागिड़ टी.टी. कॉलेज, गंगना (जोधपुर)	200
15	श्री खंदेश्वर बी.एड. कॉलेज, नान्डी (जोधपुर)	100
16	डॉ० अम्बेडकर बी.एड. कॉलेज, टोंक	350
17	देव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टोंक	100
18	पं. जे.पी. उपाध्याय टी.टी. कॉलेज, टोंक	100
19	देव कन्या टी.टी. कॉलेज, देवली (टोंक)	100
20	बाईट इण्डिया टी.टी. महिला कॉलेज, अजमेर	100
21	रमादेवी बी.एड. कॉलेज, बिजयनगर (अजमेर)	100
22	माँ सरस्वती टी.टी. कॉलेज, अजमेर	100
23	श्रीजी टी.टी. कॉलेज, बिजीसिया (भीलवाड़ा)	100

21

आध्यात्म

...21 देवी मैमोरियल संस्थान
मातापुरा (टोंक)

MBS/NOC/106

24	महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ, शाहपुरा (भीलवाड़ा)	100
25	अपूर्वत महिला टी.टी. कॉलेज, बांकली (भीलवाड़ा)	100
26	श्री भगवान महावीर बी.एड. कॉलेज, सांचौर (जालौर)	100
27	मुनि श्री कमलविजय जी म.स. टी.टी. कॉलेज, भीनमाल (जालौर)	100
28	श्री साईनाथ महिला टी.टी. कॉलेज, पोपाड़ासिटी (जोधपुर)	100
29	राजस्थान टी.टी. कॉलेज, आगोलाई (जोधपुर)	200
30	मौ शारदा बी.एड. कॉलेज, डेह, नागौर	100
31	बी.आर. खोखर टी.टी. कॉलेज, कुचामनसिटी	100
32	बालाजी टी.टी. कॉलेज, आसनपुरा, कुचामनसिटी	100
33	ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान, नागौर	100
34	रविन्द्रनाथ टैगोर टी.टी. कॉलेज, छोटोखादू, नागौर	100
35	गणेशचन्द्र टी.टी. कॉलेज, जसनगर, नागौर	100
36	मौ दुर्गामाता बी.एड. कॉलेज, रियांबाड़ी, मेड़तासिटी, नागौर	100
37	कुचामन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, कुचामनसिटी, नागौर	100
38	नयीन विद्यापीठ टी.टी. कॉलेज, निम्बीजोधा, लाडनू, नागौर	100
39	श्री सवाई टी.टी. कॉलेज, डीडवाना, नागौर	100
40	श्री राणा महिला टी.टी. कॉलेज, मकराना, नागौर	100
41	शहीद भगतसिंह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नांवाशाहर, नागौर	100
42	महादेव बी.एड. कॉलेज, छोटोखादू, नागौर	100
43	हिन्दू टी.टी. कॉलेज, नागौर	100
44	वैदन्ती शिक्षा महाविद्यालय, डेगाना, नागौर	100
45	कन्हूविजय टी.टी. कॉलेज, खेनवा रोड़, पाली मारवाड़	100
46	केशव विद्यापीठ टी.टी. कॉलेज, सुमेरपुर, पाली	100
47	राजीव गांधी टी.टी. कॉलेज, कुक्कड़, टोंक	100
48	रेखादेवी मेमोरियल इन्स्टीट्यूट, मालपुरा, टोंक	100
49	आदर्श टी.टी. कॉलेज, देवली, टोंक	100
50	एस.एस. राठीड मेमोरियल टी.टी. कॉलेज, फॉय सागर, अजमेर	100
51	गुरुकुल टीचर इन्स्टीट्यूट, केकड़ी, अजमेर	100
52	सुचिता कपलानी टी.टी. कॉलेज, भानेकलाव, जोधपुर	100
53	सर्वोदय टी.टी. कॉलेज, घेनार, डीडवाना रोड़, नागौर	100
54	महिला टी.टी. कॉलेज, बौरदगादास नगर, पाली	100
55	जय मरुधर केसरी बी.एड. कॉलेज, मेड़तासिटी, नागौर	100
56	टैगोर टी.टी. कॉलेज, केकड़ी, अजमेर	200

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 4 की शर्तों की पूर्ति के अद्यधीन उपरोक्तानुसार महाविद्यालयों को सत्र 2009-2010 हेतु छात्र आवंटित करने में विरवविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है ।

भवदीय,

कुलसचिव -

दिनांक: 5-3-09

क्रमांक: एफ.14()शै.11/पीटीईटी-एनओसी/मदसविधि/2009/34251-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
2. प्रशासनिक सचिव-कुलपति सचिवालय, मदस विरवविद्यालय, अजमेर ।

उप-कुलसचिव (शै.11)

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- बीएड पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2010-11 के लिए संस्थाओं का नवीनीकरण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बीएड पाठ्यक्रम संचालन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को निर्धारित सीटों की प्रदत्त मान्यता को अनुसरण में सत्र 2010-11 को लिए संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित 749 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उल्लिखित सीटों की सीमा तक केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने हेतु निम्न शर्तों पर नवीनीकरण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

शर्त :-

1. समस्त प्रदेश केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के माध्यम से पीटीईटी परीक्षा में सम्मिलित छात्रों में से मैरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि छात्रों से नहीं ली जावेगी। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. महाविद्यालयों को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करना अत्यावश्यक होगा।
4. महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. जो महाविद्यालय किराये के परिसर में संचालित है तथा उन्हें सत्र 2010-11 में 3 वर्ष पूर्ण हो जायेंगे, ऐसे महाविद्यालयों का नवीनीकरण सत्र 2011-12 में तभी किया जावेगा, जब वे स्वयं के भवन में एनसीटीई की अनुमति उपरान्त स्थानान्तरित हो जायेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

उप शासन सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. सचिव-पीटीईटी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. रजिस्ट्रार समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख है कि उपरोक्त संस्थाओं का सम्बन्ध सत्र दिनांक 30.07.10 से पूर्व आवश्यक रूप से जारी कराने का श्रम करें, ताकि महाविद्यालयों को कालन्सलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।
4. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई-एनआरसी, ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर
5. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना (NIC), शासन सचिवालय

उप शासन सचिव, प्रथम


1	2	3	4	5
36	टैगोर शि.प्र.संस्थान, डीडवाना रोड़, मिर्घानगर, कुचामन सिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
37	एस.के. ग्रीनवुड, शि.प्र.महावि. कुचामनरोड़, शेखावासनी, तहसील-डीडवाना, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
38	माड़ीदेवी मेमोरियल बी०एड० कॉलेज, 1-2 पाण्डूकला रोड़, पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम-रियाबड़ी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
39	अग्रवाल टी.टी. कॉलेज, मेड़ता सिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
40	डॉ. राधाकृष्ण टी.टी. कॉलेज, मिर्घानगर, डीडवाना रोड़, कुचामन सिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
41	शहीद भगत सिंह शि.प्र. महावि. नावां शहर नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
42	सीमा मेमोरियल बी.एड. कॉलेज, परबतसर, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
43	श्री सवाई टी.टी. कॉलेज, कालवानी रोड़ भट्टीवास, डीडवाना, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
44	हिन्द शि.प्र. महावि. मुडवा रोड़ सरकल, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
45	महादेव बी.एड. कॉलेज पो. छोटी खादू, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
46	श्रीराम राणा महिला टी.टी. कॉलेज, गणेश डुंगरी रोड़, बोरावड, मकराना, नागौर	महिला	100	NAGOUR
47	वेदान्ती शिक्षा महावि. गायत्री मन्दिर रोड़ डेगाना, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
48	श्री गणेशचन्द्र टी.टी. कॉलेज, जसनगर, तह. मेड़तासिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
49	मकराना टी.टी. कॉलेज सरगम सिनेमा हॉल के पीछे, मकराना, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
50	मां शारदा बी.एड. कॉलेज, ग्रा०देह जायल, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
51	श्री नारायण टी.टी. स्कूल कुचामनसिटी(सीकर रोड़) नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
52	बाटाजी टी.टी. कॉलेज आसनपुरा, कुचामनसिटी, नावा, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
53	वी.आर. खोखर मेमोरियल शि.प्र.महावि. ग्रा.पो.खातीयो का मोहल्ला वार्ड नं.19 कुचामनसिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
54	भारतीय टी.टी. कॉलेज I.T.I. कॉलेज के पास, M.H.रोड़, लाडगूं, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
55	ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान स्टेडियम के सामने, बाटर धर्वस ऑफिस के पास, नागौर	महिला	100	NAGOUR
56	रवीन्द्रनाथ टैगोर शिक्षण संस्था, छोटी खादू, तह. डीडवाना, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
57	नवीन विद्यापीठ टी.टी. कॉलेज, निम्बीजोधा, तह. लाडगूं, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
58	मां दुर्गामाता बी.एड. कॉलेज, पुलिस चौको के पास, रियाबड़ी, मेड़तासिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
59	कुचामन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सीकर रोड़, कुचामन सिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
60	सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बांठड़ी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
61	सशैक्षक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पौरट घेन्नार, डीडवाना रोड़, नागौर	महिला	100	NAGOUR
62	जय मरुधरा केशरी बी.एड. कॉलेज, गा.पो. मेड़तासिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
63	गुरुकुल बी.एड. कॉलेज, मेन रोड़, गोटन, मेड़ता सिटी, नागौर	सहशिक्षा	100	NAGOUR
64	सेन्ट सोल्जर महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, टोंक	महिला	200	TONK
65	एकलव्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टोंक	सहशिक्षा	200	TONK
66	एग्रीनेट टी.टी. कॉलेज जयपुर रोड़, डिग्री मालपुरा, (टोंक)	महिला	200	TONK
67	श्रीकल्याण टी.टी. कॉलेज, खादी आश्रम, टोंकरोड़, निवाई टोंक	सहशिक्षा	200	TONK
68	मदरलैण्ड बी.एड. कॉलेज, पंचकुईया दरवाजा, पुरानी टोंक, टोंक	महिला	200	TONK
69	डॉ. अम्बेडकर बी०एड० कॉलेज, पंचकुईया दरवाजा टोंक	सहशिक्षा	300	TONK
70	देवकन्या शि.प्र.महावि. पटेलनगर, देवली टोंक	महिला	100	TONK
71	पंडित जे.पी.उपाध्याय, टी.टी. कॉलेज, सिविल लाइन रोड़, तालकटोरा सर्किल टोंक	सहशिक्षा	100	TONK
72	देव शि.प्र.महावि. मोदी की चौकी सिविल लाइन टोंक	सहशिक्षा	100	TONK
73	रेखादेवी मेमोरियल टी.टी. इन्टीट्यूट अनिका नगर जयपुर रोड़ मालपुरा टोंक	सहशिक्षा	100	TONK
74	आर्दश टी.टी. कॉलेज सीआईएनएफ मुख्यद्वार के पास तह० देवली टोंक	महिला	100	TONK
75	राजीव गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कुड़वा बाया मालपुरा टोंक	सहशिक्षा	100	TONK

29/1/10

नॉन ज्यूडिशियल




5594 12/21/17
Dr. Rakesh Jain - ने ने मेमोरियल संस्थान मयरा
Dr. रीकेश जैन
6



AFFIDAVIT

I Dr. Rakesh Jain (Name of the authorized person) son of
Shri. Prem Chand Jain and President of the Rekha Devi
Memorial Sansthan, Malpura (Name of the college/institution/Trust/Society etc.) aged about
43 years, resident of Malpura, Tonk, Rajasthan



....., am the authorized signatory of
the application made to the Regional Committee of the National Council for Teacher
Education, at Near Avikanagan seeking grant of recognition/ permission for conducting a
course in Teacher Education titled B. Ed. With additional intake of 100


2. That the Rekha Devi Memorial Sansthan Society/Trust/Institution/ College (strike out
whichever is not applicable) is in possession of land as per the following
description :-

- 2.1 Total Area (in Sqr. Mts.) - 1896.96
 - 2.2 Built up Area (in Sqr. Mts.) - 1500
 - 2.3 Address -
- Plot No.
 Khasra No. 2207/4 Rakba 0-15 Biswa
 Village/ Town/ City : Chandsen Near Avikanagan, Malpura
 District : Tonk
 State : Rajasthan
 Area in Square Meters : 1896.96
 Bounded By
 North : Jaipur Road
 South : CSWRI
 East : CSWRI, Avikanagan
 West : Government Land

Registered in the office of : Registrar Sansthan, Tonk, Rajasthan
On : 25/03/2017 & Signed Before
Me Hence

Signed
NOTARY
(GOVT. OF INDIA)

3. That the land is on ownership basis/ ~~lease basis for a period of~~years (in figures and words)
(Strike out whichever is not applicable)
4. That the land is free from all encumbrances.
5. That the land is exclusively meant for running the education institution and the permission of the Competent authority to this effect has been obtained vide letter no 4/241/26/2006002243 dated 30/08/2006..... of the communication.
6. That the said premises shall not be used for running any educational activity/ institution other than the teacher education programme for which recognition is being sought.
7. That the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the institution for general public.



8. I do here by swear that my declaration under paras (1) to (6) are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false. I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian panel code and other relevant laws.

Signature Dr. Rakesh Jain

Name of applicant .. Dr. Rakesh Jain

Address ... Subhash Circle,

..... Malpura, Tonk

..... Rajasthan

Tel 098 280-59830

E-mail Address president@sdmtti.com

Website Address www.sdmtti.com

Place : Malpura

Date : 17/07/07

**Sworn & Signed Before
Me Hence**

Sayed
NOTARY
(GOVT. OF INDIA)
Malpura Distt. Tonk (Raj)